तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	श्री जानाराम बोराणा उर्फ जवानमल पुत्र श्री जीवाराम, जाति घांची, निवासी नोवी रोड़ ग्राम बांकली, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.) **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सुमेरपुर प्रथम सूचना अपील संख्या :– 9/2023 जीसीएमएस नं. :– 2023/181 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	

–: निर्णय :–

02.05.2024

1. पत्रावली आज पेश हुई । अपीलाण्ट अनुपस्थित।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 11.09.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सुमेरपुर से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।
3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सुमेरपुर ने जरिये पत्र इस न्यायालय को अवगत कराया कि हमने अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 118 दिनांक 04.10.2023 के अवगत करवाया कि वांछित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु देय शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर ले जिसकी पालना में अपीलाण्ट द्वारा प्रतिलिप शुल्क आदा कर देने से रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि तैयार कर दी गई परन्तु आवेदनकर्ता द्वारा तैयार सुदा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु न तो इस कार्यालय में उपस्थित हुआ है और न ही रेकर्ड डाक द्वारा भेजने हेतु पोस्टेज स्टाम्प उपलब्ध करवाये है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना के संबंध में सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।
6. निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन. मंत्री)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली